## <u>न्यायालय-दिलीपसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.क्रमांक—253 / 2017</u> संस्थित दिनांक—15.06.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — **अभियोजन** 

## <u>// विरुद</u> //

सूरजलाल नारबोदिया पिता ब्रजलाल, उम्र—48 वर्ष, जाति ढीमर, निवासी—ग्राम छोटा बाहकल, वार्ड नंबर—6, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

#### -----<u>अभियुक्त</u> / <u>निर्णय</u> //

## <u>(आज दिनांक-21/06/2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 325, 324, 323, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 28.05.2017 को 22:00 बजे ग्राम छोटा बाहकल बिरसा में फरियादिया श्रीमित शांतिबाई को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादिया के मुह पर स्टील की टंकी का ढ़क्कन मारकर फरियादिया के मुह के ऊपर का एक दांत एवं नीचे के दो दांत तोड़कर फरियादिया को घोर उपहित कारित कर फरियादिया के होंट पर स्टील की टंकी के ढक्कन से मारकर एवं फरियादिया को लात घूसे से मारकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 325, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया शांतिबाई ने थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी कि दिनांक 28.05.2017 की रात्रि करीब 10:00 बजे की बात है वह उसके बच्चों के साथ घर में खाना बना रही थी। उसी समय उसका पित सूरजलाल नारबोदिया आया था। जो फरियादिया से कहने लगा था कि उसके दूसरे लोगों से संबंध हैं और फरियादिया को मां बहन की गंदी—गंदी गालियां देने लगा था। फरियादिया ने गाली देने से मना किया था

तो अभियुक्त ने आवेश में आकर पास में रखी स्टील की टंकी का ढक्कन उठाकर फिरयादिया के मुह में मार दिया था तथा लात—घूसों से मारपीट करने लगा था। तभी फिरयादिया की बड़ी पुत्री रामबतीबाई और दूसरी पुत्री मीना ने आकर बीच बचाव किया था। मारपीट करने से फिरयादिया के मुह के ऊपर का एक दांत तथा नीचे के दो दांत टूट गये थे। होंठ में चोट लगकर खून निकल रहा था। दाहिने कंधे, पसली, पीठ, बाये पैर के टखने में अंदरूनी चोट आयी थी। मारपीट करके घर जाते समय अभियुक्त बोल रहा था कि आज तो लड़कियों के कारण बच गयी दूसरी बार पता चला तो जान से खत्म दूंगा की धमकी दी थी। फिरयादिया की रिपोर्ट पर से थाना मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 66/17 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- 4— अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:--
  - 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—28.05.2017 को समय 22:00 बजे, ग्राम छोटा बाहकल बिरसा में फरियादिया श्रीमित शांतिबाई के होंठ पर स्टील की टंकी के ढक्कन से मारकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की ?

# —<u>:विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष्∕</u>—

6— शांतिबाई अ.सा.1 का कथन है कि अभियुक्त उसका पित है। घटना उसकी न्यायालयीन साक्ष्य से बीस दिन पूर्व की रात्रि 10:00 बजे की ग्राम बाहकल की फिरियादिया के घर की है। घटना के समय वह घर पर खाना बना रही थी। तभी अभियुक्त ने कमरे में आकर फिरियादिया से दूसरे लोगों के साथ गलत संबंध की बात को लेकर विवाद किया था। तब फिरयादिया ने थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी जो प्र.पी.01 है। साक्षी ने पुलिस को घटनास्थल नहीं बताया था। घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त उसका पित है। अभियुक्त से उसने राजीनामा कर लिया है। संभवतः राजीनामा होने के कारण साक्षी ने उसकी साक्ष्य

में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्त कि विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया की होंठ पर स्टील की टंकी के ढ़क्कन से मारकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा—324 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा—324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 7— प्रकरण में धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
- 8— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 9— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक स्टील की पानी की टंकी का ढ़क्कन अपील अवधि पश्चात फरियादिया को दिया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट